



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 404 राँची, मंगलवार, 23 आषाढ़, 1948 (श०)
14 जुलाई, 2026 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

संकल्प

8 जून, 2026

संख्या- 11/आ०-05/2025-3484--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्रीमती हिमानी प्रिया, काराधीक्षक, तत्कालीन केन्द्रीय कारा, गिरिडीह (सम्प्रति-मंडल कारा, गिरिडीह) के विरुद्ध कर्तव्य से अनुपस्थित रहने, भण्डार पंजी (Stock Book) अद्यतन नहीं रहने, स्टॉक बैलेंस एवं निकासी विपत्र में हस्ताक्षर नहीं रहने तथा रोकड़ पंजी (Cash Book) अद्यतन नहीं रहने संबंधी आरोप, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथमदृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्रीमती प्रिया के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. श्रीमती प्रिया के विरुद्ध गठित आरोपों की जाँच के लिए श्री सुनील कुमार, सेवानिवृत्त, भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्रीमती प्रिया के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री तुषार रंजन गुप्ता, सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ निरीक्षणालय, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

5. तदनुसार, एतद् द्वारा श्रीमती प्रिया को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अन्दर जाँच हेतु संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर बचाव-बयान प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को उपलब्ध कराएँ।

6. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजपत्रित गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री सुनील कुमार, सेवानिवृत्त, भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच०ई०सी० गोलचक्कर, धुर्वा, राँची तथा श्रीमती हिमानी प्रिया, काराधीक्षक, मंडल कारा, गिरिडीह को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ऐनी रिन्कु कुजूर,
सरकार के अवर सचिव ।
